



MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous Institute, Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

NAAC ACCREDITED WITH A++ GRADE

Gola Ka Mandir, Gwalior (M.P.) - 474005, INDIA

Ph.: +91-751-2409300, E-mail: director@mitsgwalior.in, Website: www.mitsgwalior.in

क्रमांक: छात्र.शा./एमएमजेकेवाय/2023-24/18

दिनांक: 20.02.2024

22

सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ 14-2/2008/42(2) भोपाल दिनांक 09/07/2018 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा 2018-19 से विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर "मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" प्रारंभ की गई है अपर सचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अनुसार इस योजना हेतु पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" के आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित (दो सेट) आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करें। जो छात्र/छात्राएँ अपने आवेदन-पत्र संस्था में जमा नहीं करेंगे, उन छात्रों को समझा जावेगा, कि उन्हें "मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" की पात्रता नहीं है।

शर्तें निम्नानुसार हैं -

पात्रता की शर्तें - सत्र 2023-24

नवीनीकरण छात्रों हेतु - नवीनीकरण छात्रों हेतु गत वर्ष की अंकसूची, प्रवेश पर्ची एवं फीस विवरण रसीद अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

नवीन छात्रों हेतु -

- जेईई मेन्स परीक्षा की रैंक 1,50,000/- के अंतर्गत हो।
- माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन का प्रमाण पत्र/कार्ड।
- 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची।
- फीस जमा की रसीद।
- अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची।
- प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची।
- शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (कॉशन मनी को छोड़कर) का विवरण रसीद आदि।
- विद्यार्थी म.प्र. का मूल निवासी हो (छात्र/छात्राये 18 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयं का मूल निवासी लगावे)।
- आधार नंबर, समग्र आईडी, टी.सी.।
- आधार लिंक बैंक खाता।

योजना की अन्य शर्तें -

- इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जायेगा।
- म.प्र. के समस्त युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

MMJKY योजना में आवेदन की प्रक्रिया -

- छात्र/छात्राओं द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट प्रतिपूर्ति हेतु <https://medhavikalyan.mp.gov.in> पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
- छात्र/छात्राओं को योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- छात्र/छात्राओं को अपना आधार नंबर एवं माता-पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक/ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा। (संलग्न कर्मकार कार्ड)
- आवेदन करते समय विद्यार्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.), शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा।
- छात्र/छात्राओं द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिंट कर समस्त दस्तावेजों सहित (दो सेट) संस्था में जमा करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि -

- संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल।
- प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर।
- निदेशक कार्यालय।
- रजिस्ट्रार।
- समस्त विभागाध्यक्ष।
- समस्त सूचना पटल।
- बेब मैनेजर, एमआईटीएस अपलोड करने हेतु एवं IMS
- लेखा शाखा।
- प्रवेश शाखा।
- संबंधित फाइल।

(डॉ. आर.के. पण्डित) 21.2.24

निदेशक
DIRECTOR

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005